गुजरात में स्मारकों का संरक्षण

1571. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 5 अगस्त, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1623 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने स्मारकों और इमारतों को सुरक्षित घोषित किया गया है ;

(ख) इनमें से कितने स्मारकों और इमारतों पर अवैध अतिक्रमण हुआ है ; और

(ग) इनकी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) गुजरात में 203 स्मारक और इमारतें ऐसी हैं जिन्हें संरक्षित घोषित किया गया है।

(ख) यहां 15 स्मारक और इमारतें ऐसी हैं जिन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

(ग) इन स्मारकों एवं इमारतों पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित मामलों को उपयुक्त न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकरणों के साथ उठाया गया है। संरक्षित स्थलों से और इनके आसपास से अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है।

Including the Study of Earthquake in University Curriculum

1572. SHRI SATISH PRADHAN : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of Universities in the country having the study of earthquake in their curriculum;

(b) whether this subject has been introduced keeping in view the earthquake prone areas of the country; and

(c) whether Government propose to introduce such a curriculum in all the Universities, if not the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) According to the information furnished by UGC, the University of Roorkee has a Department of Earthquake Engineering for conducting study of the subject.

(b) Curricula are framed by the universities themselves keeping in view the need for a particular course.

(c) Universities are autonomous organisations and decisions regarding introduction of various courses in different disciplines are taken by the universities themselves on the recommendations of their Academic Councils. The Government or the UGC do not intervene in such matters.

खेल सुविधाओं हेतु राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

1573. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में खेलों के विकास तथा खेलों के लिए मूलभूत सुविधाओं हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) राज्य सरकारें "खेलों की बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुदान की योजना" के तहत मुख्यतः सहायता के लिए केन्द्र सरकार से सम्पर्क करती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए योजना-वार आंबटन नहीं किया जाता। केन्द्रीय सहायता किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृत की जाती है।